

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।
विज्ञापन सं० -01/2019

कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. विभिन्न विभागों द्वारा कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी कोटिवार रिक्तियों की विवरणी निम्नांकित है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम	सामान्य प्र० बि० का पत्रांक एवं दिनांक	वेतन मान/ ग्रेड पे०	पद नाम	पदों की कोटिवार विवरणी (35% महि०, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता से० के नाती/पोते को देय आरक्षण सहित)							
					अना०	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु० जाति	अनु०जन० जाति	अ०पि०व०	पि० व०	पि०व० की महिला	कुल
1	योजना एवं विकास विभाग	2884/ 02.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (असैनिक)	519	130	208	13	233	156	39	1,298
2	नगर विकास एवं आवास विभाग	2888/ 02.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (असैनिक)	20	05	08	01	08	06	01	49
3	ग्रामीण कार्य विभाग	2883/ 02.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (असैनिक)	286	71	136	07	146	86	36	768
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2881/ 02.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (असैनिक)	162	46	58	00	103	69	19	457
		2882/ 02.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	18	03	00	00	08	05	00	34
5	भवन निर्माण विभाग	2887/ 02.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	07	01	02	00	03	02	00	15
		2885/ 02.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (विद्युत)	48	11	16	01	21	05	04	106
		2886/ 02.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (असैनिक)	102	30	56	00	71	37	14	310
6	जल संसाधन विभाग	3151/ 07.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (असैनिक)	408	212	509	26	547	323	98	2123
		3152/ 07.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	93	24	38	03	43	29	07	237
			4600/-	कनीय अभियंता (विद्युत)	10	02	04	01	05	03	01	26
7	पथ निर्माण विभाग	3170/ 07.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (असैनिक)	165	46	69	00	97	63	23	463
8	लघु जल संसाधन विभाग	2894/ 04.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (असैनिक)	114	35	68	04	75	38	13	347
		2895/ 04.03.2019	4600/-	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	58	15	23	2	26	18	4	146
									कुल	6,379		

8/11

2. शैक्षणिक योग्यता -

(क) कनीय अभियंता (असैनिक)

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering) के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी शिक्षा पर्यद/विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा प्रदत्त हो, अथवा

(ii) UGC ऐक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित DEEMED UNIVERSITY द्वारा Non-Distance Mode में असैनिक अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त DEEMED UNIVERSITY को असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।

(ख) कनीय अभियंता (यांत्रिक) (जल संसाधन विभाग)

(i) कनीय अभियंता (यांत्रिक) का कुल स्वीकृत बल का 90 प्रतिशत पद के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के यांत्रिक अभियंत्रण (Mechanical Engineering) के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी शिक्षा पर्यद/विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा प्रदत्त हो अथवा

UGC ऐक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित DEEMED University द्वारा Non-Distance Mode में यांत्रिक अभियंत्रण (Mechanical Engineering) में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त DEEMED University को यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।

(ii) कनीय अभियंता (यांत्रिक) का कुल स्वीकृत बल का 10 प्रतिशत पद के लिए-- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के विद्युत अभियंत्रण (Electrical Engineering) के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी शिक्षा पर्यद/विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा प्रदत्त हो, अथवा

UGC ऐक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित DEEMED University द्वारा Non-Distance Mode में यांत्रिक अभियंत्रण (Mechanical Engineering) में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त DEEMED University को यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।

(ग) कनीय अभियंता (यांत्रिक) -

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के यांत्रिक अभियंत्रण (Mechanical Engineering) के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी शिक्षा पर्यद/विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मंजूरी प्रदत्त हो।

(ii) UGC ऐक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित DEEMED UNIVERSITY द्वारा Non-Distance Mode में यांत्रिक अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त DEEMED UNIVERSITY को यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।

(घ) कनीय अभियंता विद्युत (भवन निर्माण विभाग)-

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जिसे स्टेट टेक्निकल बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो।

(ii) UGC ऐक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित DEEMED UNIVERSITY द्वारा निर्गत Non-Distance Mode Diploma in Electrical Engineering अथवा समकक्ष योग्यता।

3. आयु सीमा- दिनांक-01.08.2018 को:-

(i) न्यूनतम आयु:----- 18 वर्ष

(ii) अधिकतम आयु सीमा:-

अनारक्षित (सामान्य) - 37 वर्ष

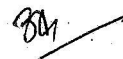
अनारक्षित (महिला) - 40 वर्ष

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष/महिला - 40 वर्ष

अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला - 42 वर्ष

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iv) संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंताओं हेतु अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी।



4. चयन का प्राकृत्यः-

(i) कनीय अभियंताओं के पदों पर चयन डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अहर्ता पूरी करते हैं, को अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।

(ii) अभ्यर्थी की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी।

(क) डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर - 75 अंक

(ख) संविदा के आधार पर कनीय अभियंता के पद पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा) - 25 अंक

कुल - 100 अंक

(iii) अभ्यर्थी 28.02.2019 तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र का साक्ष्य ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे।

(iv) डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित विधि से की जाएगी:-

(क) इस विज्ञप्ति में अंकित पदों से संबंधित संवर्ग भर्ती नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक/यांत्रिक/विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा, जिन्हें आरक्षण कोटिवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।

(ख) शेष रिक्ति आरक्षण कोटिवार इस विज्ञप्ति में अंकित पदों से संबंधित संवर्ग नियमावली के प्रावधानों के तहत निर्धारित योग्यता/अहर्ता के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरी जाएगी।

(ग) कंडिका-(ख) के रिक्त पदों के सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के पश्चात् अवशेष मेधा सूची के आधार पर कंडिका-(क) के आरक्षित पदों को राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में चयन द्वारा भरा जाएगा।

5. आरक्षण:-

(i) ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र,

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नलिखित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है।

(a) परिसम्पति प्रमाण पत्र-(सामान्य प्रशासन विभाग की अधि. संख्या- 2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र तथा परिसम्पति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

82

आरक्षित काट

क्र० सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति(SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला (WBC)
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

(v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक-16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(ix) ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी संस्थानों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

6. आवेदन शुल्क- Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:-

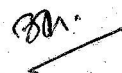
क्र०सं०	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 200/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/-
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/-
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों।	रु० 200/-

(i) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चैथार्ड जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।

अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या एस० बी० आई० के ई-चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।

ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे।

वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।



7. महत्वपूर्ण निर्देश:

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सूचना एवं आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे एवं इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) कंडिका 3 (iv) के अंतर्गत अधिमानता का दावा करने वाले उम्मीदवार के द्वारा संविदा के आधार पर कार्य करने के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र के रूप में उनके नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किए गए अद्यतन वेतन भुगतान विवरणी की स्वभिप्रमाणित प्रति काउंसलिंग के समय जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) वैसे उम्मीदवार, जिनके अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फॉर्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके ग्रेड को AICTE द्वारा ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु प्रदत्त फॉर्मूला के आधार पर प्रतिशत निकाला जाएगा।

8. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का इंक साईन कॉपी निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

9. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।

10. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट <http://btsc.bih.nic.in> एवं <http://pariksha.nic.in> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

13. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

15. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं-

(i) ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि: 15.04.2019

(ii) ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।

(iii) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र /अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iv) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail ID, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(vi) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं बैंक में ऑनलाइन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।

(vii) इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(viii) अभ्यर्थी तीन महीने के अन्दर का खिंचा हुआ अपना एक रंगीन फोटोग्राफ जिसका आकार (2x2 inches (51 v 51 mm)), Background सफेद, समतल तथा छायाविहीन होना चाहिए जिसे स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। सिर एवं दूडी का space 25-30 mm होना चाहिए। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(ix) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

811

(x) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।

(xi) ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटों पहचान के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक पहचान आवश्यक है, जिसे ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित कॉलम में दर्ज किया जाना है।

(1) आधार कार्ड (2) ड्राइविंग लाईसेंस (3) पैन कार्ड (4) पासपोर्ट (5) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गत फोटों पहचान पत्र (6) मतदाता पहचान पत्र

नोट:-1. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाणपत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

San.
8.3.2019
उपसचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
बिहार, पटना।